



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : गोप0/ 2122

दिनांक : 13/11/25

अतिमहत्वपूर्ण/सर्वोच्च प्राथमिकता

विज्ञप्ति

विषय : विश्वविद्यालय परिसर तथा महाविद्यालयों/संस्थानों में विषम सेमेस्टर दिसम्बर-2025 के समस्त पाठ्यक्रमों में प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षक नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

एतद् द्वारा समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय एवं शिक्षकगण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा **विषम सेमेस्टर दिसम्बर-2025 के समस्त पाठ्यक्रमों** की प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु परीक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। महाविद्यालय में नियुक्त परीक्षकों की सूची कॉलेज लॉगिन पर उपलब्ध करा दी गयी है तथा उसकी सूचना नियुक्त परीक्षकों को भी एस0एम0एस0/ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर दी गयी है। कृपया प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें :-

01. महाविद्यालय/संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों में नियुक्त परीक्षकों की सूची कॉलेज लॉगिन पर प्रदर्शित होगी।
02. नियुक्त परीक्षकगण एस0एम0एस0/ई-मेल में दिए गए लिंक पर जाकर प्रयोगात्मक परीक्षा कराये जाने हेतु 48 घण्टों के अन्दर सहमति/असहमति का चयन करें। 48 घण्टों के अन्दर सहमति/असहमति का चयन नहीं किए जाने पर नियुक्त शिक्षक का सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान में परीक्षकत्व स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा उनके स्थान पर चक्रानुक्रम में स्वतः अन्य शिक्षक की नियुक्ति हो जाएगी।
03. शिक्षक द्वारा प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा का परीक्षकत्व स्वीकार किए जाने की दशा में एस0एम0एस0/ई-मेल के माध्यम से शिक्षक को स्वतः Alloted I.D. के साथ पुष्टि संदेश (Confirmation message) प्रेषित किया जाएगा। उल्लिखित Alloted I.D. महाविद्यालय को परीक्षा के दिन उपलब्ध कराये जाने पर कॉलेज लॉगिन पर स्वतः प्रयोगात्मक परीक्षा के अंकपत्र का प्रारूप प्रदर्शित हो जाएगा, साथ ही परीक्षक को सीक्रेट कोड उपलब्ध हो जाएगा, जो 10 घंटे तक वैध रहेगा।
04. प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त परीक्षक को उपलब्ध (Confirmation message) प्रविष्टि करने के उपरान्त अन्तिम रूप से Close बटन पर क्लिक करते ही प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा के अंक पोर्टल पर अपलोड हो जायेंगे।

नोट:- 01. परीक्षकगण प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा हेतु निर्धारित पूर्णांक, अनुपस्थिति एवं उपस्थिति का संज्ञान लेकर ही छात्रों को अंक प्रदान किये गये हैं। पोर्टल पर अंक अपलोड होने के पश्चात् किसी भी दशा में डॉकेट डिलीट नहीं किये जायेंगे उसके लिए सम्बन्धित परीक्षकगण स्वयं उत्तरदायी होगा।

02. समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्य/प्राचार्या प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षकों से परीक्षाये आयोजित कराकर विश्वविद्यालय के ऑनलाईन पोर्टल पर अंक अपलोड करते हुए अंकपण की दो प्रतियाँ (कुलसचिव व टैबुलेटर) में से एक टैबुलेटर प्रति रिजल्ट सेल में जमा करने के उपरान्त दूसरी कुलसचिव प्रति गोपनीय विभाग की खिड़की संख्या-40 व कक्ष संख्या 308 पर तीन (03) कार्यदिवसों में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि परीक्षाफल समय पर घोषित किया जा सके।
03. किसी भी दशा में ऑफलाईन अंक स्वीकार नहीं होंगे।
04. किसी भी तकनीकी सहायता हेतु मोबाईल नम्बर-9259089985, 8077113737 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

01. समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्य/प्राचार्या को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए सात दिवस में प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा सम्पन्न कराकर अंकपण की दो प्रतियाँ (कुलसचिव व टैबुलेटर) में से एक टैबुलेटर प्रति रिजल्ट सेल में जमा करने के उपरान्त दूसरी कुलसचिव प्रति गोपनीय विभाग की खिड़की संख्या-40 व कक्ष संख्या 308 पर तीन (03) कार्यदिवसों में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
02. समस्त संकायाध्यक्ष, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र/रिजल्ट सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. निदेशक, सार इन्फोसिस्टम प्रा०लि० को इस निर्देश के साथ कि उक्त लिंक पर अंक अपलोड करने की निर्बाध सेवायें उपलब्ध कराना और यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो तत्काल उसका निस्तारण करना भी सुनिश्चित करें।
06. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने तथा समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर की ई-मेल पर प्रेषित करने हेतु।
07. प्रेस प्रवक्ता को छात्रहित में सम्मानित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
08. सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के सादर संज्ञानार्थ।
09. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
10. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
11. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।

सहा० कुलसचिव (गोप०)